



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13507

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 111 सन् 2026

बलिराम

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे को सुना गया जिनकी सहायता श्री हिमांशु सिंह (ए/एच 0277/2019) ने की जो विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे के संक्षिप्त धारक के रूप में उपस्थित हुए और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव की दलीलें सुनी गईं।

2. विरोधी पक्षों के अधिवक्तागण ने संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2006 में उनकी सीधी भर्ती हुई और उन्हें उप-उपाक्षक विद्यालय के पद पर तैनात किया गया। बाद में इस पद का नाम बदलकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उनका तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा और फरवरी 2022 से वे जिला मऊ में तैनात थे। 4 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुसार, विकास ब्लॉक बदराओं में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए, उनका तबादला विकास ब्लॉक परदाहा में कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने 4 अप्रैल 2025 को विकास ब्लॉक परदाहा में कार्यभार ग्रहण किया और इस तैनाती के तुरंत बाद, मूल शिक्षा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी ने 28 अप्रैल 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से कुछ आरोपों के संबंध में जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ता ने 1 मई 2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद मूल शिक्षा अधिकारी ने 6 मई 2025 को एक और नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए कहा, जिस पर याचिकाकर्ता ने 13 मई 2025 को जवाब दिया। इसके बाद मूल शिक्षा अधिकारी ने 10 जून 2025 को एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता का तबादला विकास ब्लॉक परदाहा से विकास ब्लॉक दोहरीघाट में कर दिया। उक्त तबादला आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने विकास ब्लॉक दोहरीघाट में कार्यभार ग्रहण किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू किया। इसके बाद जब याचिकाकर्ता कार्यरत था, तब मूल शिक्षा अधिकारी, मऊ ने 4 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को मुख्यालय से संलग्न कर दिया और मुकेश कुमार को विकास ब्लॉक दोहरीघाट का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 14196/2025 (बलिराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर की, जिसका निस्तारण 19.09.2025 को हुआ और प्रत्यर्थागण को याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता ने 29.09.2025 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया और उसके बाद अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 7274/2025 दायर किया, जिसमें 15.12.2025 को नोटिस जारी किए गए और उसके बाद 18.12.2025 को याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया तथा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज द्वारा जांच पर विचार किया जा रहा है।

4. इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

5. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई दुराचार नहीं किया है जिससे प्रत्यर्थागण को याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आधार मिल सके। उनका कहना है कि मूल शिक्षा अधिकारी याचिकाकर्ता से द्वेष रखते थे, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 14196/2025 (बलिराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर की थी, जिसका निस्तारण 19.09.2025 को हुआ था। रिट न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 7274/2025 दायर की, जिसमें नोटिस जारी किए गए थे, जो याचिकाकर्ता के निलंबन का आधार बने। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने न तो धन का दुरुपयोग किया है और न ही कोई अनियमितता की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, जैसा कि आक्षेपित आदेश में आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि समग्र अनुदान में से 10% और विभिन्न मदों के अंतर्गत 40% तक की अवैध कटौती करना गलत है। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी अवैध रिश्वतखोरी या जबरन वसूली में लिप्त नहीं हुआ है। हालांकि, पूरी राज्य व्यवस्था याचिकाकर्ता के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को 28.04.2025 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में भी वही आरोप थे जिनका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है और वह विभागीय कार्यवाही का सामना करने से नहीं हिचकिचाता है, लेकिन निलंबन रद्द किया जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, श्री आर.एस. उमराव, स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो याचिकाकर्ता के निलंबन का आधार बने। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने अवैध रिश्वतखोरी और धन उगाही में लिप्त होकर वास्तविक लाभार्थियों को लाभ से वंचित करने के लिए समग्र अनुदान में अनावश्यक कटौती की है। उनके अनुसार, दिनांक 28.04.2025 के कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोप भिन्न हैं और निलंबन का आधार बनने वाले आरोपों के संबंध में तथ्य-जांच की गई थी और इसकी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा को 06.10.2025 को प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग के कदाचार के आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता मौजूद हैं।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि उन्हें नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है। प्रथम दृष्टया, न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आधार गंभीर आरोप हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को एक विस्तृत और सतही जाँच करते समय तथ्यात्मक पहलुओं में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विभागीय जाँच का विषय है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप अवैध रिश्वत की माँग करने और समग्र अनुदान में 10% और अन्य कमियों में 40% की कटौती करने से संबंधित हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) के हस्ताक्षरों से दिनांक 13.01.2026 को जारी किए गए निर्देशों में दिनांक 06.10.2025 की तथ्य-जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायत संलग्न है। यह मामला नहीं है कि निलंबन आदेश बिना किसी आधार के पारित किया गया है।

10. फिर भी, दिनांक 28.04.2025 के कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोप निलंबन आदेश में लगाए गए आरोपों से भिन्न हैं। अतः, यह न्यायालय वर्तमान मामले को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त नहीं पाता है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पारित निलंबन आदेश में हस्तक्षेप अस्वीकार किया जाता है।

12. अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विभागीय कार्यवाही पूरी करने का अधिकार दिया जाता है।

13. याचिकाकर्ता कार्यवाही में भाग लेगा और नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ते का हकदार होगा।

14. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

15. आज दाखिल किए गए निर्देश परिशिष्ट क और ख के रूप में अभिलेख में दर्ज किए जाते हैं।

20 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।